न्यायालयः-अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

व्य.वाद क 102ए / 2015 संस्थित दिनांक 13.10.2015 फा.नंबर—300102015

- 1.अलखराम पिता स्व0 सनवा यादव, उम्र-60 वर्ष,
- 2.शोभाराम पिता स्व0 सनवा यादव, उम्र-70 वर्ष,
- 3.सुकलु पिता स्व0 सनवा यादव उम्र-62 वर्ष,
- 4.पनिहारिनबाई पति सुक्खन यादव, उम्र-75 वर्ष,
- 5.सुमरितलाल पिता सोनूलाल यादव, उम्र-80 वर्ष,
- 6.शोकलाल पिता सुमरितलाल यादव, उम्र-40 वर्ष,
- 7.सुमन्ताबाई पति सुमरितलाल यादव, उम्र–32 वर्ष,
- 8.रमलबाई पति सम्हारू उम्र—65 वर्ष, कमांक 01 से 08 की जाति अहिर तथा निवासी कुकर्रा,
- 9.सुभियाबाई पति सम्हारू, उम्र—58 वर्ष, जाति अहिर निवासी टोपला पोस्ट जैतपुरी,
- 10.कमलबाई पिता सनवा, उम्र—55 वर्ष, जाति अहिर निवासी कुकर्रा, सभी तहसील बैहर जिला बालाघाट(म.प्र)।

.....वादीगण

ः विरुद्ध ःः

- 1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैहर, तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 2. सरपंच ग्राम पंचायत कुकर्रा हितेजी चिचाम उम्र—38 साल, पति राजेन्द्र चिचाम, निवासी कुकर्रा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 3.श्रीमान कलेक्टर बालाघाट।

....प्रतिवादीगण

ः<u>निर्णयःः</u> (<u>दिनांक 20.02.2018 को घोषित</u>)

- 01— यह वाद मौजा कुकर्रा प.ह.न.54 रा.नि.म. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित वादग्रस्त संपत्ति ख.नं.182/21क रकबा 0.30 डिसमिल तथा खसरा नंबर 182/21ख रकबा 10 डिसमिल के विषय में घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एक ही खानदान व परिवार के व्यक्ति है जो अहिर जाति के सदस्य है, जिन पर हिन्दु विधि लागू होती है और जो हिन्दु प्रथा से शासित होते है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 01 शासकीय सेवक है तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 एक जनप्रतिनिधि है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। वादीगण को उक्त भूमि मूल पुरूष सनवा वल्द बिरझू द्वारा वर्ष 1968 में छद्दन वल्द गरीबा से क्रय करने से प्राप्त हुई संपत्ति है। मूल पुरूष वादी क्रमांक 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 के पिता व वादी क्रमांक 5, 6, 7 के ससुर व नाना है तथा राजस्व प्रलेखों में दर्ज नामित बसमोतिन, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारसान वादी क्रमांक 5 व 7 है। मूल पुरूष सनवा द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि क्रय करने के पश्चात से ही उक्त भूमि को अपने नाम पर नामांतरण करवाकर उक्त भूमि को अपने कब्जे व काश्त में रखा गया है।
- 03— वादग्रस्त भूमि का खसरा वर्ष 1968 के अनुसार खसरा नंबर 182/21 रकबा 0.40 डिसमिल मौजा कुकर्रा प.ह.नं.54 में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण द्वारा ना तो मूल पुरूष द्वारा कभी कोई दान पत्र और ना ही किसी प्रकार कि कोई सहमित ग्राम पंचायत कुकर्रा को और ना ही प्रतिवादीगण को सड़क निर्माण कार्य करने कभी दिया गया और ना ही किसी प्रकार का उक्त भूमि का बटांकन करने हेतु कोई आवेदन किसी राजस्व कर्मचारी/अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि वादीगण को सनवा से प्राप्त संपत्ति है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा सांठ—गांठ कर वादीगण को क्षति पहुँचाने के आशय

से उक्त भूमि के खसरे का बटांकन करवाकर वादग्रस्त भूमि पर सड़क निर्माण कार्य किये जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बटांकन करने से राजस्व प्रलेखों में वादीगण की भूमि कम हो गई है।

- वर्तमान में राजस्व प्रलेखों में शेष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 04-182 / 21क रकबा 0.30 डिसमिल भूमिस्वामी मौजा कुकर्रा प.ह.नं.54 है। वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में खसरा नंबर 182/21क करने व बटांकन करने का कोई आवेदन वादीगण द्वारा नहीं किया गया है तथा वादीगण के पिता सनवा द्वारा वर्ष 1968 में भूमि क्रय करने पर उक्त वादग्रस्त भूमि का खसरा नंबर 182 / 21 रकबा 0.40 डिसमिल था, जो संशोधन पंजी क्रमांक 196 दिनांक 01.12.1968 के अनुसार स्पष्ट है, जिसे मूल पुरूष सनवा द्वारा संपूर्ण रकबा 51 / -रुपये में बैनामा दिनांक 19.06.1968 में क्रय किया गया है तथा उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात मूल पुरूष सनवा द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण करने के लिये हल्का पटवारी को संपूर्ण दस्तावेज दिया गया था, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का नक्शा का बटांकन नहीं किया गया है, जिससे वादग्रस्त भूमि के संपूर्ण रकबा 0.40 डिसमिल का नक्शा वर्तमान तक दुरूस्त नहीं हो पाया है, परन्तु वादीगण के पिता द्वारा कब्जे में रखी गई उक्त भूमि को वर्तमान तक वादीगण कब्जा व काश्त करते चले आ रहे है।
- 05— वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए हल्का पटवारी व राजस्व अधिकारी से मेल—जोल करते हुए वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक के खसरे में वादग्रस्त भूमि का बटांकन दर्शित कर उक्त खसरे में काट—छाट कर खसरा नंबर 182/21क करके रकबा 0.30 डिसमिल लिखा गया है। वादीगण की शेष 0.10 डिसमिल भूमि को खसरा नंबर 182/21ख करके शामिल नंबर 112/4 लिखा गया है, जिसमें अभिलेख से

स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड वर्ष 2000 से 2004 तक के खसरे में हेर-फेर की गई है। उक्त संबंध में वादीगण को जानकारी दस्तावेज कि सत्यप्रति प्राप्त करने पर हुई, जो वादीगण पर बंधनकारी नहीं है।

- 06— वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा जबरन सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण द्वारा शांतिपूर्ण रूप से जुताई—बुवाई कर काश्त की जा रही है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा 47 वर्षों से होने के कारण प्रतिवादीगण व हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक को उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रवेश करने व भूमि का सीमांकन किये जाने व सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेत् निषेधित किया जावे।
- 07— वाद कारण दिनांक 18.11.2016 को तब उत्पन्न हुआ जब ग्राम पंचायत कुकर्रा द्वारा वादग्रस्त भूमि का माप सड़क निर्माण हेतु किया जाना कहा गया तथा द्वितीय बार तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा पिता सनवा से प्राप्त भूमि की प्रमाणित प्रति दिनांक 09.11.2016 को प्राप्त की गई। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर घोषणार्थ हेतु 1000/— रूपये पर 500/— रूपये तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 1000/— रूपये पर 120/— रूपये का कोर्ट फीस चस्पा करते है। इस प्रकार कुल 2,000/— रूपये पर 620/— रूपये का कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा करते है। अतः वादीगण के पिता से प्राप्त भूमि मौजा कुकर्रा प.इ.नं.54 खसरा नंबर 182/21 रकबा 0.30 डिसमिल भूमि व शेष रकबा 182/21 ख रकबा 0.10 डिसमिल पर प्रतिवादीगण को स्वयं या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से दखल देने स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि मौजा कुकर्रा प.इ.नं.54 खसरा नं.182/21क के रकबा 0.30 डिसमिल भूमि व शेष रकबा 182/21ख रकबा 0.10 डिसमिल भूमि का खसरे का बटांकन को निरस्त किये जाने कि आज्ञप्ति प्रदान की जावे।

08— पक्षकारों की पहचान तथा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह व्यक्त किया है कि ग्राम पंचायत कुकर्रा जनपद पंचायत बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट ने ग्राम पंचायत की मीटिंग दिनांक 20.06.2016 को ग्राम पंचायत की सर्व सम्मित से प्रस्ताव पास कर ग्राम पंचायत कुकर्रा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 03 में 14वें बित्त आयोग की राशि से पी.डब्ल्यू. डी. सड़क से बी.आर. किल्हारे के घर तक 110 मीटर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य किये जाने बाबद् स्टीमेट एवं टी.एस. कार्य पूर्ण कराकर निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 312 दिनांक 23.06.2016 राशि 5,34,000/— रूपये भूमि का खसरा नंबर 182/30 मौजा कुकर्रा प.ह.नं.54 में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात ग्राम पंचायत कुकर्रा में कार्य प्रारंभ कर 45 मीटर सीमेंट सड़क का निर्माण कार्य किया गया।

09— प्रतिवेदन के साथ उक्त ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का खसरा फार्म पी—।। एवं नक्शा तथा सहमित पत्र भूमिस्वामी टेकराम पिता सालिकराम, लेमनबाई पित तुलाराम, संजय पिता तुलाराम, भवानी पिता तुलाराम, बाबूराम पिता जुगतराम, दादूराम पिता जुगतराम, अनिल पिता मालिकराम, उमेश पिता मालिकराम सभी जाति मरार निवासी कुकर्रा तहसील बैहर जिला बालाघाट का प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लिख देने वाले उक्त लोग तथा लिखा लेने वाले ग्राम पंचायत कुकर्रा तहसील बैहर जिला बालाघाट लेख है। उक्त भूमि का खसरा नंबर 181/1ग, 181/1क, 181/15, 181/1च, 182/23, 182/22 में से रकबा 0.02 डिसमिल भूमि को ग्राम पंचायत कुकर्रा को बिना मुआवजा लिये गांव के हित में सी.सी. सड़क निर्माण हेतु दी गई, जिसमें लिख देने वाले द्वारा स्वतंत्र एवं स्वस्थ मनोदशा में सहमित दी गई तथा साथ में यह भी लेख है कि उक्त लोगों का नाम राजस्व प्रलेखों से काटा जाकर ग्राम पंचायत कुकर्रा का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हो, इस आधार पर राजस्व प्रलेखों पर संशोधन किया जाकर उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वादीगण की हक मालिकी

की भूमि खसरा नंबर 182/21 खसरा नंबर 182/21क पर कोई सी.सी. सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया है, इसिलये ग्राम पंचायत कुकर्रा के अंतर्गत ग्राम कुकर्रा में पी.डब्ल्यू.डी. रोड से बी.आर. किल्हारे के घर तक किये जा रहे सी.सी. सड़क निर्माण कार्य में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बंधनकारक नहीं है। वादीगण राजनैतिक लोगों के बहकावे में आकर राजनैतिक द्वेशवश उक्त व्यवहार वाद मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किये है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

10— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क मां क	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त भूमि मौजा कुकर्रा प.ह.नं.54, रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 182/21 रकबा 0.30 डिसमिल तथा खसरा नंबर 162/21 रकबा 0.10 डिसमिल भूमि वादीगण के स्वामित्व की है ?	प्रमाणित नहीं
2.	क्या वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है ?	प्रमाणित नहीं
3.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
4.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका कमांक—16 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-01 का निष्कर्ष

11— वादपत्र के अभिवचनों का समर्थन कर वादी अलखराम वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि मूल पुरूष उनके पिता व वादी क्रमांक 05, 06, 07 के ससुर व नाना है एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर

182/21 रकबा 0.40 डिसमिल मौजा कुकर्रा मूल पुरूष सनवा द्वारा वर्ष 1968 में छद्दन से क्रय की गई थी तथा क्रय करने के पश्चात से ही उक्त भूमि का नामांतरण कर अपने काश्त एवं कब्जे में रखा गया। ना तो मूल पुरूष और ना ही वादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कभी कोई दान पत्र अथवा सहमति ग्राम पंचायत कुकर्रा और प्रतिवादीगण को सड़क निर्माण हेतु दी गई, तथापि प्रतिवादीगण द्वारा सांठ-गांठ कर उन लोगों को क्षति पहुँचाने की गरज से मनमाने ढंग से भूमि के खसरे का बटांकन करवाकर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिससे राजस्व प्रलेखों में उनकी उक्त भूमि में कमी आ गई। उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के बटाकन करने का कोई आवेदन कभी नहीं दिया गया है और उक्त भूमि का नक्शा भी आज दिनांक तक दुरूस्त नहीं हो पाया है, परन्तु उक्त भूमि पर उनका काश्त एवं कब्जा चले आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए हल्का पटवारी एवं राजस्व अधिकारी से मेल-जोल कर वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक के खसरे में वादग्रस्त भूमि का बटांकन कर उक्त खसरे में काट-छाट कर भूमि का खसरा नंबर 182 / 21क रकबा 30 डिसमिल लिखा गया है तथा शेष 10 डिसमिल भूमि को खसरा नंबर 182 / 21ख कर शामिल नंबर 112 / 4 लिखा गया है, जिससे स्पष्ट है कि खसरे में हेर-फेर कर उनको क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया है।

12— वादी अलखराम वा.सा.01 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं होने पर भी उनके द्वारा भूमि को आनन—फानन करने की नियत से उक्त भूमि पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे निषेधित किया जाना आवश्यक है। उसने वाद के समर्थन में संशोधन पंजी वर्ष 1968 कमांक 196 दिनांक 01.12.68 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.01, संशोधन पंजी वर्ष 1999 कमांक 16/174 दिनांक 15.03.93 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.02, खसरा वर्ष 1999 से 2003 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.03, दिनांक 21.12.2016 व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैहर को प्रेषित नोटिस की पावती दिनांक

17.12.2016 प्र.पी.04 एवं नोटिस धारा—80 व्य0प्र0सं0 प्रेषित सत्यप्रति दिनांक 16. 12.2016 की सत्यप्रति प्र.पी.05 प्रस्तुत की गई है।

13- प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

संशोधन पंजी कमांक 196 वर्ष 1968 प्र.पी.01 से मूल पुरूष 14-सनवा द्वारा 40 डिसमिल भूमि क्रय करना दर्शित है, परंतु तत्पश्चात वर्ष 1999 तक वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा संशोधन पंजी प्र.पी.02 से ही उक्त भूमि का रकबा 0.30 डिसमिल होना दर्शित है तथा पश्चात के राजस्व प्रलेखों से उक्त भूमि खसरा नंबर 182 / 21क रकबा 0.30 डिसमिल ही वादीगण के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज होना दर्शित है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व प्रलेख भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जहाँ तक वादीगण के यह अभिवचन है कि प्रतिवादीगण द्वारा पद का दुरूपयोग कर उनको क्षति पहुँचाये जाने के आशय से वादग्रस्त भूमि का बटांकन कर उनके हिस्से की 10 डिसमिल भूमि कम कर उनको क्षति पहुँचाई जा रही है। प्रकरण में तत्संबंध में कोई साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है। यद्यपि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, तथापि सबूत का भार अंततः वादीगण पर ही है। वादीगण द्वारा प्रस्त्त दस्तावेजों तथा साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 182/21क रकबा 30 डिसमिल भूमि तथा खसरा नंबर 182/21ख रकबा 10 डिसमिल भूमि पर वादीगण का स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को क्षति पहुँचाये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है। फलतः विवाद्यक क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 02 एवं 03 का निष्कर्षः-

15— वादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1968 से उनका आधिपत्य है। पूर्व विवेचना से भूमि खसरा नंबर 182/21ख रकबा 0.10 डिसमिल पर वादीगण का स्वामित्व प्रमाणित नहीं है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त

भूमि के वर्तमान राजस्व प्रलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है और ना ही आधिपत्य के संबंध में कोई उचित मौखिक दस्तावेज है। उपलब्ध साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के वर्तमान आधिपत्य के संबंध में निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के अवैध हस्तक्षेप के संबंध में भी स्वयं वादी अलखराम वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उनकी भूमि पर कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य ही प्रमाणित नहीं है, जिससे आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फलतः विवाद्यक प्रश्न कमांक 02 एवं 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 04 का निष्कर्षः — सहायता एवं व्ययः —

16— उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे है। परिणामस्वरूप वर्तमान वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

अ—वादीगण द्वारा वाद व्यय वहन किया जावेगा। ब—अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तद्नुसार उक्त आशय की आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र. (अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.